

000136

No. 24-10/2020-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
(Storage & Inspection)

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated 28th December, 2020

To,

1.	The Secretary /Deptt. of Agriculture State Govts./UT	Andhra Pradesh/Karnataka/Kerala/Odisha /Tamil Nadu/Telangana/Goa/Maharashtra/Pondicherry/Lakshadweep/Andaman and Nicobar/Dadra & Nagar Haveli/J&K.
2.	Secretary (Food & Civil Supplies), State Govts./UT	-do-
3.	The Director (Agriculture), State Govt. of	-do-
4.	The Director (Food & Civil Supplies) State Govt./UT	-do-
5.	The Managing Director, State Warehousing Corporation	-do-
6.	Vice Chancellor, Agriculture University	-do-
7.	The Chairman & Managing Director, FCI, New Delhi	New Delhi
8.	The Managing Director, CWC, New Delhi	New Delhi
9.	The Managing Director, NCDC, New Delhi	New Delhi

Subject: Long Term Training Course (Batch No. 77) on Scientific Method of Storage & Inspection of Foodgrains at the Indian Grain Storage Management & Research Institute (IGMRI) Field Station, Hyderabad-reg.

Sir,

I am directed to say that the next Long Term Training Course (**Batch No. 77**) on Scientific Method of Storage & Inspection of Foodgrains at the Indian Grain Storage Management & Research Institute (IGMRI) Campus, Rajendra Nagar, Hyderabad-500030 (Phone No. 040-24015875 & Fax No. 040-24015876) is scheduled to commence from **25/01/2021** to **19/02/2021**. The duration of the course will be **four weeks** and the course will be conducted in English/Hindi Language.

2. A copy each of the details of the training course, prescribed proforma for application and the syllabus are enclosed. The course is meant to cater to the needs of officials working with the large scale Grain Storage Units, Post Harvest Grain Technology Extension and Public Distribution agencies to ensure suitable quality control measures during procurement, storage, transportation and distribution of foodgrains.



Ed. 5333385 231A
04/01/2021

3. No course fee is charged for this course from Government employees and students SC, ST category. However, course fee of Rs. 8,000/- from Private Candidate and Rs. 2,500/- from student will be charged. The trainees however, will have to bear expenses on boarding, lodging and compulsory study tour of 3 (Three) days duration. Accommodation in the Hostel attached to the Institute is provided on "First come-First served" basis, at the approved rates.

4. You are requested to sponsor suitable candidates belonging to your organization for admission to the above course. The last date for receipt of nomination (s) by this Department is 19-01-2021. The nomination (s) received after this date will not be entertained.

5. It may kindly be noted that withdrawal of name (s) after the nomination of the candidate (s) result in non-utilization of seats for other candidates. It is, therefore, requested that the nomination may be made only after ensuring that the candidate (s) will be deputed for the above course.

Encl: As above

Yours faithfully,


(Vishwajeet Haldar)
Deputy Commissioner (S&R)
Tel: 23384784

Copy to:-

1.	Managing Directors of Food & Civil Supplies Corporation of all the above States/UT	For sponsoring suitable candidates. AndhraPradesh/Karnataka/Kerala/Odisha/Tamil Nadu/Telangana/Goa/Maharashtra/Pondicherry/Lakshadweep/Andaman&Nicobar/Dadra&Nagar Haveli/J&K.
2.	General Manager (Region)	
3.	Regional Manager (CWC)	

Copy for information to:-

1. The Director, IGMRI, Hapur.
2. The Officer-In-charge, IGMRI, FS, Ludhiana/Hyderabad & QCC offices.

3

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
INDIAN GRAIN STORAGE MANAGEMENT & RESEARCH INSTITUTE
HAPUR/ HYDERABAD/LUDHIANA

APPLICATION FOR ADMISSION TO LONG TERM TRAINING COURSE

1. Name of Applicant :
2. Father's Name :
3. Date of Birth :
4. Qualifications :

S.No	Name of the Board/ Universities	Name of the Examination passed	Subjects	Year	Division

5. Experience in storage of foodgrains if any:
6. Whether the applicant belongs to SC/ST:
7. Postal Address :
8. Address of the controlling/Sponsoring/Authority
(in case of employed person)

Certified that I shall abide by the discipline at the Institute during the period of training.

Signature of Applicant

Remarks of the recommending Authority

Date :

Signature

Place :

Designation

B. INSPECTION

1. Foodgrain production and warehousing in India.
2. Morphology of cereals (wheat, rice, paddy etc.) and their constituents.
3. Milling, Processing and Packaging of wheat & paddy.
4. Pulses, their important varieties, constituents and milling procedures.
5. Handling & Transportation of foodgrain, calculation of LAS.
6. Procurement policy of foodgrain in India.
7. Inspection of foodgrain: Necessity, utility and terminology.
8. Sampling techniques and Grading of foodgrain.
9. Grain quality during storage of foodgrain i.e., categorization, classification and grade designation etc.
10. Uniform Specification of wheat, rice, paddy, maize etc.
11. Categorization of issuable and non-issuable stocks and disposal of non-issuable/damaged foodgrain.
12. Maintenance of godown accounts and book keeping.
13. Consumer Protection Act, 1986 and its importance.
14. Food Safety & Standards Act and its importance.
15. National Food Security Act, 2013 and its importance.
16. Overview of warehousing (Development & Regulation) act, 2007 and importance of Negotiable warehousing Receipt.
17. Maintenance of aptitude and code of ethics by the Civilian Employees on equality, justice dutifulness, integrity, empathy and compassion during the service.
18. Issue of foodgrain to the State Govt. and their agencies for TPDS and other welfare schemes.
19. Role of India in SAARC Food Bank.

1
5
(s
nc
co

En

Copy

1.	I
2.	C
3.	R

Copy fi

1. The
2. The

5
Syllabus for Long Term Training Course (LTTC) on "Scientific Methods of Storage & Inspection of Foodgrains" at IGMRI, Hapur and its Field Stations Ludhiana and Hyderabad.

(04 Weeks Duration)

A. STORAGE:

1. General Problems and factors responsible for storage losses in foodgrain at commercial/farm level.
2. Food Policy of India.
3. Post-Harvest losses in foodgrain.
4. Sources & Detection of infestation in stored foodgrain: preventive and control measures.
5. Traditional and modern methods of grain storage at farm level.
6. Insect pests of stored grain and milled products, their identification, biology and nature of damage.
7. Vertebrate pests and their control.
8. Toxic contaminants in foodgrain, their ill-effect and prevention.
9. Pesticide contaminants, tolerance limit of residue and anti-dotes.
10. Pesticide formulation; their physical, chemical and biological properties; precautions for safe handling, application and their efficacy.
11. Principles of scientific godown construction, and their specifications; Metallic & Non-Metallic structures, importance of bulk storage.
12. Role of moisture in godowns, its measurement in foodgrain & milled products.
13. Godown Management and code of storage practices including sanitation, hygiene and security measures in warehouse complex.
14. Safe storage of cereal seeds.
15. Fumigation of foodgrain by different fumigants including Methyl Bromide.
16. Insecticide Act.
17. Use of safety equipments-Demo
18. Fire fighting procedure-Demo

7

INDIAN GRAIN STORAGE MANAGEMENT & RESEARCH INSTITUTE
HAPUR
LONG TERM TRAINING COURSE (BATCH NO.354)
PAPER -1
(STORAGE)

Time : 2.30 Hours

Maximum Marks: 100

Note : Attempt any five Questions. All questions carry equal marks.

- Q. No. 1. Describe Food Policy of India.
- Q. No. 2. Discuss various factors responsible for damage of foodgrains during storage.
- Q. No. 3. Write the common and scientific name of Rice weevil, Life cycle and nature of damage.
- Q. No. 4. What is hermetic storage ? Give an example of hermetic storage structure and merits and Demerits.
- Q. No. 5. Describe types, identification, behavior and nature of damage of rodents. Discuss chemical control methods of rodents.
- Q. No. 6. What is fumigation ? Name the fumigants used for insect control in foodgrains. Describe the Fumigation procedure with the fumigant recommended for use in warehouses in our country emphasizing on
1. Dosage
 2. Duration
 3. Mode of Action on Insects
 4. Aeration
 5. Precautions
- Q. No. 7. Write short notes on following:
- (i) Hidden infestation
 - (ii) Anti-dotes
 - (iii) Dunnage and its importance
 - (iv) Bag and bulk storage
 - (v) Dry and wet heating

7

1 (19)
59

INDIAN GRAIN STORAGE MANAGEMENT AND RESEARCH INSTITUTE HAPUR,
(UP)-245101
LONG TERM TRAINING COURSE BATCH NO.354

QUESTION PAPER ON INSPECTION

TIME 2 HOURS 30 MINUTES

MAXIMUM MARKS 100

Attempt Any Five Questions. All Questions carry equal Marks.

1. Write in detail the procedure of inspection of food grains and its necessity. What is the importance of inspection in maintaining the quality of food grains and name the refractions found in wheat and rice.
2. Describe FSSA and Uniform Specifications. What are limits of different refractions in FSSA and Uniform specifications.
3. How do you analyze a given sample of rice (raw and parboiled) and wheat sample? Outline all the steps involved in analysis.
4. Describe the morphology of wheat with the help of a diagram. What are the constituents of wheat kernel?
5. What are the mode of transportation of food grains and what are the precautions required in transportation and handling of food grains?
6. Write short notes on:-
 - i) Classification of rice.
 - ii) Food Security
 - iii) SAARC Food Bank
 - iv) Dunnage
 - v) Stacking

संख्या :24-10/2020-एस & आई

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली.

दिनांक: 28 दिसंबर, 2020

सेवा में,

1.	सचिव, कृषि विभाग, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र/	आंध्रप्रदेश/कर्नाटक/केरला/ओड़ीशा/तेलंगाना/ तमिलनाडू/पाँण्डिचेरी/गोवा/महाराष्ट्र/लक्षदीप/ अंडमान और निकोबार/दादर नागर हवेली /जम्मू कश्मीर
2.	सचिव, (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति), राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र/	-वही-
3.	निदेशक (कृषि), सरकार.....	-वही-
4.	निदेशक (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)...सरकार	-वही-
5.	प्रबंध निदेशक, राज्य भंडारण निगम	-वही-
6.	कुलपति-, कृषि विश्वविद्यालय	-वही-
7.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली	नई दिल्ली
8.	प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली	नई दिल्ली
9.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली	नई दिल्ली

विषय: भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान (आई. जी. एम. आर. आई), हैदराबाद में खाद्यानों के भंडारण और निरीक्षण की वैज्ञानिक पद्धति के संबंध में दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (बैच सं. 77)।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, आई. जी. एम. आर. आई परिसर, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद दूरभाष 040-24015875 फ़ैक्स 040-24015876 में खाद्यानों के भंडारण और निरीक्षण की वैज्ञानिक पद्धतियों पर अगला दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (बैच सं. 77) दिनांक 25/01/2021 से 19/02/2021 तक चलेगा। यह पाठ्यक्रम 4 सप्ताह की अवधि का होगा तथा यह हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में संचालित होगा।

2. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के विवरण, आवेदन के निर्धारित प्रपत्र तथा पाठ्यक्रम की एक-एक प्रति संलग्न है। यह पाठ्यक्रम बड़े पैमाने पर अन्न भंडारण यूनिटों, फसल कटाई के उपरांत अनाज प्रयोगिकी विस्तार तथा सार्वजनिक वितरण एजेंसियों के साथ कार्य कर रहे कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा

करने के लिए है। ताकि खाद्यानों की खरीदारी, भंडारण, दुलाई तथा वितरण के दौरान उपयुक्त नियंत्रण उपाय सुनिश्चित किए जा सकें।

3. इस पाठ्यक्रम के लिए सरकारी कर्मचारियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तथा अभ्यर्थियों से 8000/- रुपये और विद्यार्थियों से 2500/- रुपये का पाठ्यक्रम शुल्क प्रभारित किया है। अ. जा. / अ. ज. जा. वर्ग के विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तथापि, आवास भोजन तथा तीन (3) दिन की अवधि के अनिवार्य अध्ययन दौर से संबंधित व्यय प्रशिक्षुओं को वहन करना होगा। संस्थान के छात्रावास में आवास "पहले आओ - पहले पाओ" आधार पर अनुमोदित दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।

4. अनुरोध है कि उपर्युक्त पाठ्यक्रम के लिए अपने संगठन से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों को नामित करने की कृपा करें। नामांकन (नामांकनों) के इस विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तारीख 19-01-2021 है। इस तारीख के बाद प्राप्त होने वाले नामांकन (नामांकनों) पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. कृपया नोट कर लें कि अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के नामांकन के बाद उनके नाम को वापस नहीं लेने दिया जाएगा। नामांकन वापस लेने / अथवा अभ्यर्थियों को न भेजने से अन्य अभ्यर्थियों के लिए सीटों को इस्तेमाल नहीं हो पाता है। अतः अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करने के बाद ही नामांकन भेजे जाएं कि उपर्युक्त पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को भेजा जाएगा।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,


(विश्वजीत हालदार)

उपायुक्त (एस. एंड आर.)

दूरभाष : 23384784

प्रतिलिपि :-

निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम	उपर्युक्त सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रबंध
महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम	उपर्युक्त अभ्यर्थियों को नामित करने के लिए अनुरोध हेतु
क्षेत्रीय प्रबंधक, केन्द्रीय भंडारण निगम,	आंध्रप्रदेश/कर्नाटक/केरला/ओड़ीशा/तेलंगाना/तमिलनाडू /पॉण्डिचेरी/गोवा/महाराष्ट्र/लक्षदीप/अंडमान और निकोबार/दादर नागर हवेली/जम्मू & कश्मीर

सूचनार्थ प्रति:-

1. निदेशक, आई.जी.एम.आर.आई., हापुड
2. प्रभारी अधिकारी, आई.जी.एम.आर.आई. फील्ड स्टेशन, लुधियाना/हैदराबाद एवं गुण नियंत्रण कार्यालय

रतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, हापुड़, लुधियाना और हैदराबाद में खाद्यान्न के भंडारण और निरिक्षण के वैज्ञानिक तरीके पर दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (एल.टी.टी.सी) के लिए पाठ्यक्रम।

(04 सप्ताह की अवधि)

अ. भंडारण

- 1) वाणिज्यिक/फार्म स्तर पर खाद्यान्न भंडारण की सामान्य समस्याएँ एवं नुकसान के लिए जिम्मेदार कारक ।
- 2) भारत की खाद्य नीति ।
- 3) खाद्यान्न में कटाई उपरांत हानियाँ ।
- 4) संग्रहित खाद्यान्न में कीट प्रकोप के स्रोत/प्रकोप की जांच व निवारक और नियंत्रण के उपाय ।
- 5) फार्म स्तर पर अनाज भंडारण के पारंपरिक और आधुनिक तरीके ।
- 6) भंडारित अनाज और प्रसंस्कारित पदार्थों के कीट, उनकी पहचान, जीवन चक्र और हानि करने की प्रकृति।
- 7) रीढ़ वाले हानिकारक जन्तु और उनका नियंत्रण ।
- 8) खाद्यान्न दूषित करने वाले पदार्थ, उनके दुष्प्रभाव एवं बचाव ।
- 9) खाद्यान्नों को दूषित करने वाले पेस्टिसाइड, उनकी सीमा और विषहर ।
- 10) पेस्टिसाइड फार्मूलेशन: उनके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण, सुरक्षित, रख-रखाव, प्रयोग के लिए सावधानियाँ और उनकी प्रभावशीलता ।
- 11) वैज्ञानिक गोदाम निर्माण के सिद्धांतों और उनके विनिर्देश: धातु और गैर धातु भंडारण संरचनाएँ, थोक भंडारण के महत्व ।
- 12) गोदामों में नमी की भूमिका, खाद्यान्न और प्रसंस्कारित उत्पाद में इसकी माप ।
- 13) गोदाम प्रबंधन और स्वच्छता, साफ-सफाई और गोदाम परिसर में सुरक्षा उपायों सहित भंडारण पद्धतियों की संहिता ।
- 14) बीजों का सुरक्षित भंडारण ।
- 15) मिथाइल ब्रोमाइड सहित विभिन्न प्रधूमकों से खाद्यान्नों का प्रधूमन ।
- 16) कीटनाशक अधिनियम ।
- 17) सुरक्षा उपकरणों डेमो का उपयोग-व प्रदर्शन ।
- 18) अग्निशमन प्रक्रिया-प्रदर्शन ।

ख. निरीक्षण:

- 1) भारत में खाद्यान्न उत्पादन और भंडारण ।
- 2) अनाज (गेहूं, चावल, धान आदि) की आकृति विज्ञान और उनके घटक ।
- 3) गेहूं और धान की मिलिंग, प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग ।
- 4) दाल व उनके महत्वपूर्ण किस्मों, घटक और मिलिंग प्रक्रियाएँ ।
- 5) खाद्यान्नों का रख रखाव, परिवहन तथा हानि की गणना ।
- 6) भारत में खाद्यान्न की खरीद नीति ।
- 7) खाद्यान्न निरीक्षण की आवश्यकता, उपयोगिता और शब्दावली ।
- 8) जनूना लेने की तकनीक और खाद्यान्नों का श्रेणीकरण ।
- 9) भंडारण के दौरान अनाज की गुणवत्ता यानी, श्रेणीकरण, वर्गीकरण और गेड पदनाम आदि ।
- 10) गेहूं चावल, धान मक्का आदि की एक समान विनिदिष्टियाँ ।
- 11) गैर जारी करने योग्य / क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का निपटान और वर्गीकरण ।
- 12) गोदाम खातों और तत्संबंधी रिकार्ड का रखरखाव ।
- 13) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और इसके महत्व ।
- 14) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और इसके महत्व ।
- 15) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और इसके महत्व ।
- 16) भंडारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 और परक्रान्य गोदाम रसीद के महत्व का अवलोकन ।
- 17) सेवा के दौरान योग्यता और समानता, न्याय कर्तव्यपरायणता, विश्वसनीयता, ईमानदारी, सहानुभूति और सहजशीलता पर असैनिक कर्मचारियों द्वारा आधार संहिता का अनुपालन ।
- 18) राज्य सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए उनकी संस्था के लिए खाद्यान्न जारी करना ।
- 19) दक्षिण खाद्य बैंक में भारत की भूमिका ।

मंत्रालय उपरोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान
हापुड / लुधियाना / हैदराबाद

दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम:
2. पिता का नाम:
3. जन्मतिथि:
4. योग्यताएँ:

क्रमांक	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा का नाम पारित किया	विषय	वर्ष	डिविजन/प्राप्तांक (%)

5. खाद्यान्न भंडारण अनुभव यदि कोई है:
6. अनुसूचित जाति/जनजाति:
7. डाक का पता:
8. नियोक्ता/प्रयोजितकर्ता का पता:

(सेवारत व्यक्ति के मामले में)

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान संस्थान में अनुशासन का पालन करूँगा/करूँगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

सिफारिश कर्ता की टिप्पणियाँ

तिथि:

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

स्थान:



8

भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, हापुड
दीर्घ कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (बैच संख्या 354)
पेपर-1

भण्डारण प्रश्न पत्र

समय:- 2.30 घटे

अधिकतम अंक:- 100

किन्ही पांच प्रश्न के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्न समान अंक के हैं।

प्रश्न-1 देश की खाद्य नीति का विवरण लिखें।

प्रश्न-2 भंडारण के दौरान अनाज को क्षति पहुंचाने वाले घटकों का विवरण दीजिए।

प्रश्न-3 सुमरी का आम एवं वैज्ञानिक नाम लिखें। उनके जीवन चक्र और क्षतिग्रस्त करने के तरीके लिखें।

प्रश्न-4 वायुरुद्ध भंडारण क्या है एक वायुरुद्ध भंडारण पत्र उदाहरण दें। इसकी विशेषताएं एवं कमियाँ का विवरण भी करें।

प्रश्न-5 चूड़ों के प्रकार, पहचान, व्यवहार क्षति करने के तरीके विवरण दें। चूड़ों के रासायनिक नियंत्रण विधियां लिखें।

प्रश्न-6 प्रधूमक क्या है उपयोगी प्रधूमकों के नाम लिखें। हमारे देश में अनुमोदित प्रधूमक से प्रधूमन करने की विधि का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर दीजिए।

- 1) मात्रा
- 2) अवधि
- 3) कीटों पर प्रभाव
- 4) वातायन
- 5) सावधानियां

प्रश्न-7 निम्नलिखित पर लिखिए -

1. अदृश्य जन्तु बाधा
2. विष-हर
3. उनज एवं उसका महत्व
4. बैग और बल्क भंडारण
5. खुश्क एवं गोन्दी हीटिंग

संस्कृत और स्टोरज रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट हापुड, (यूपी) -245101

लंबी अवधि ट्रेनिंग कोर्स बैच सं.354

निरीक्षण पर प्रश्न पत्र

समय 1 घंटे 30 मिनट

अधिकतम अंक 100

किसी भी पांच प्रश्नों का उत्तर दें। सभी प्रश्नों पर समान अंक हैं।

1. अनाज के निरीक्षण की प्रक्रिया और इसकी आवश्यकता के बारे में विस्तार से लिखें। अनाज की गुणवत्ता को बनाए रखने में निरीक्षण का महत्व क्या है? गेहूं और चावल में पाए गए अपवर्तनों का नाम क्या है?
2. एकसमकाल और एकसमान विनिर्दिष्टता (Uniform specification) का वर्णन करें। एफएसएसए और Uniform specification में विभिन्न अपवर्तन की सीमाएं क्या हैं?
3. उबरे हुए चावल (raw and parboiled) और गेहूं के नमूने का विश्लेषण कैसे करते हैं। विश्लेषण में शामिल सभी वर्णों की रूपरेखा लिखें।
4. आर.ए. की मदद से गेहूं के रूपरेखा (morphology) का वर्णन करें। गेहूं कर्नल के घटक क्या हैं?
5. अनाज के परिवहन के साधन क्या हैं और अनाज के परिवहन और संचालन (handling) में आवश्यक मानकानि क्या हैं?
6. इन पर छोटे नोट्स लिखें: -
 - (i) चारस का वर्गीकरण।
 - (ii) डाक्यू सुरक्षा
 - (iii) मार्केट फुड बैंक
 - (iv) Damage
 - (v) मैकिंग

Endt. on TE(2) 136/2021 Dtd. 13/01/2021

Copy of the letter communicated to all Principal Agricultural officers / All ADA's of SSFs for sending nominations of eligible officers. PAOs are also directed to include mainly the nominations of officials engaged in Paddy and Foodgrain procurement and storage. Nominations should include the contact no. and e-mail id of the participants. Nominations should reach here on or before 18-01-2021 in the e-mail id of jdetrng@

Copy to
IT cell for
publishing in website

S. C. R.
13/01/2021
For Director of Agriculture



22